

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/अपर सिविल जज(सी०डि०) कोर्ट सं० 2, गाजियाबाद।

विविधवाद संख्या-466/2024

मु०अ०सं०-301/2022

राममचन्द्र कमल बनाम अज्ञात

धारा- 379 भा०दं०सं०

थाना-इंद्रापुरम, गाजियाबाद।

दिनांक—13.01.2025

पत्रावली पेश हुई पुकार पर कोई उपस्थित नहीं।

प्रस्तुत प्रकरण में मु०अ०सं०-301/2022, अन्तर्गत धारा-379 भा०दं०सं० में विवेचक द्वारा अंतिम रिपोर्ट दाखिल की गयी है। वादी को नोटिस भेजा गया परन्तु वादी उपस्थित नहीं है। कई अवसर देने के उपरान्त भी वादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आ रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी को अंतिम आख्या के विरुद्ध कुछ नहीं कहना है। ऐसी दशा में विवेचक द्वारा दाखिल अंतिम आख्या स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः विवेचक द्वारा मुकदमा अपराध संख्या- 301/2022 अन्तर्गत धारा- 379 भा०दं०सं०, थाना-इंद्रापुरम के मामले में प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट स्वीकार की जाती है। पत्रावली दाखिल अभिलेखागार हो।

(समीना जमील)

Jo code-UP2450

अपर सिविल जज(सी०डि०) /

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

कोर्ट सं०- 02, गाजियाबाद।